रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2007/माघ 13, 1928

No. 97] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2007/MAGHA 13, 1928

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2007

**का.आ. 103(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 17, धारा 18 और धारा 13 की उपधारा (4), उपधारा (10) और उपधारा (12) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (खक), खंड (खख) और खंड (खग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में, (जिसको इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) "अध्यादेश" शब्द, जहां-जहां वे आते हैं, "अधिनियम" शब्द रखा जाएगा ।

(2) उक्त नियम के नियम 2 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"'अधिनियम' से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति



Searchable PDF created by OCR.space

हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) अभिप्रेत है" ;

3. उक्त नियम के नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**"3क. उधार लेने वाले के अभ्यावेदन का उत्तर देना**

(क) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन मांग नोटिस के जारी करने के पश्चात्, यदि उधार लेने वाला, नोटिस का कोई अभ्यावेदन देता है या कोई आक्षेप करता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अभ्यावेदन या आक्षेप पर विचार करेगा और यह परीक्षा करेगा कि क्या वह प्रतिग्राह्य या मान्य है ।

(ख) यदि, उधार लेने वाले द्वारा दिए गए अभ्यावेदन या किए गए आक्षेप की परीक्षा करने पर प्रतिभूत लेनदार का समाधान हो जाता है कि मांग नोटिस में किन्हीं परिवर्तनों या उपांतरणों को करने की आवश्यकता है तो वह अभ्यावेदन या आक्षेप की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर तदनुसार नोटिस का रूपांतरित करेगा और पुनरीक्षित नोटिस तामील करेगा या ऐसे अन्य उपयुक्त आदेश पारित करेगा जैसे वह आवश्यक समझे ।

(ग) यदि, कोई प्राधिकृत अधिकारी, दिए गए अभ्यावेदन या किए गए आक्षेप की परीक्षा पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा अभ्यावेदन या आक्षेप प्रतिग्राह्य या मान्य नहीं है तो वह, अभ्यावेदन या आक्षेप के अप्रतिग्रहण के कारणों को, ऐसे अभ्यावेदन या आक्षेप की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर उधार लेने वाले को, संसूचित करेगा ।"।

4. उक्त नियम के नियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"12. अधिकरण/अपील अधिकरण को आवेदन-

(1) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन ऋण वसूली अधिकरण को कोई आवेदन, उक्त नियम की परिशिष्ट VII में दिए गए प्ररूप के यथासंभव निकटतम रूप में होगा ।

Searchable PDF created by OCR.space

2) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (6) के अधीन अपील अधिकरण को कोई आवेदन, उक्त नियम की परिशिष्ट VIII में दिए गए प्ररूप के यथासंभव निकटतम रुप में होगा ।

"13. अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 के अधीन आवेदनों और अपीलों के लिए फीसें-

(1) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन या धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण को किसी अपील के साथ उपनियम (2) में उपबंधित फीस संलग्न की जाएगी और ऐसी फीस, यथास्थिति, अधिकरण या न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में उस स्थान पर, जहां अधिकरण या न्यायालय स्थित है, संदेय किसी बैंक का क्रास मांग ड्राफ्ट या भारतीय आर्डर के माध्यम से प्रेषित की जा सकेगी ।

(2) संदेय फीस की रकम निम्नलिखित होगी :

| सं0. | आवेदन की प्रकृति | संदेय फीस |
|---|---|---|
| 1. | धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किन्हीं उपायों के विरुद्ध धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन किसी ऋण वसूली अधिकरण को आवेदन | |
| (क) | जहां आवेदक, उधार लेने वाला व्यक्ति है और शोध्य ऋण की रकम दस लाख रुपए से कम है । | प्रत्येक 1 लाख रुपए या उसके भाग के लिए 500 रुपए |
| (ख) | जहां आवेदक, उधार लेने वाला व्यक्ति है और शोध्य ऋण की रकम दस लाख रुपए और अधिक है । | 5000 रुपए + 100000 रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक, प्रत्येक एक लाख रुपए या उसके भाग के लिए 250 रुपए |

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

| | | |
|---|---|---|
| (ग) | जहां आवेदक, उधार लेने वाले से भिन्न कोई व्यथित पक्ष है और जहां शोध्य ऋण की रकम दस लाख रुपए से कम है । | प्रत्येक एक लाख रुपए या उसके भाग के लिए 125 रुपए |
| (घ) | जहां आवेदक, उधार लेने वाले से भिन्न कोई व्यथित पक्ष है और जहां शोध्य ऋण की रकम दस लाख रुपए और अधिक है । | 1250 रुपए + 50000 रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक, प्रत्येक एक लाख रुपए या उसके भाग के लिए 125 रुपए |
| (ङ) | किसी व्यक्ति द्वारा कोई अन्य आवेदन | 200 रुपए |
| 2. | धारा 17 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील | वही फीसें, जैसी इस नियम के क्रम सं0 1 के खंड (क) से खंड (ङ) में उपबंधित की गई हैं |

IndiaCode

5. उक्त नियम में,-

(i) परिशिष्ट- III में, "vf[kØ; विक्रय कीमत की प्राप्ति" से पहले "----------रुपए (.....रुपए मात्र) की" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) gRRre-V में, 'kqf[kØ; विक्रय कीमत की प्राप्ति" से पहले "----------रुपए (.....रुपए मात्र) की" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) परिशिष्ट VI के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

Searchable PDF created by OCR.space

"qRmz- VII

[नियम 12(1) देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन

अधिकरण कार्यालय के प्रयोग के लिए

फाइल करने की तारीख .....

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख .....

या

रजिस्ट्रीकरण सं0 .....

.....

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

ऋण वसूली अधिकरण में

(स्थान का नाम)

क ख आवेदक

और

ग घ प्रतिवादी

जो लागू न हो उसे हटा दें ।

आवेदन के ब्यौरे :

1. आवेदक की विशिष्टियां :—

(i) आवेदक का नाम :

(ii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

(iii) सभी नोटिसों की तामील के fäg पता :

2. प्रतिवादी की विशिष्टियां :--

(i) प्रतिवादी का नाम :

(ii) प्रतिवादी के कार्यालय का पता :

(iii) सभी नोटिसों की तामील के लिए पता :

3. अधिकरण की अधिकारिता :--

आवेदक घोषणा करता है कि आवेदन की विषय-वस्तु अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आती है ।

4. परिसीमा :--

आवेदक यह और घोषणा करता है fib कि यह आवेदन वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 17 की उपधारा (1) में विहित परिसीमा के भीतर फाइल किया गया है ।

5. मामले के तथ्य :--

मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :--

(zrgt कालानुक्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण a, प्रत्येक पैरा में, जहां तक संभव हो सके पृथक विवाद्यक, तथ्य या अन्यथा यहां दें, कि कैसे आवेदक व्यथित है ।)

6. मांगा गया (मांगे गए) अनुतोष :--

ऊपर पैरा 5 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक निम्नलिखित अनुतोष (3F@Al) के fäN प्रार्थना

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

करता है :-

[अनुतोष (अनुतोषों) के लिए आधार को और निर्भर किए जाने वाले विधिक उपबंधों को (यदि कोई हो), स्पष्ट करते हुए मांगा गया अनुतोष (मांगे गए अनुतोषों) को नीचे विनिर्दिष्ट करें]

7. अंतरिम आदेश, यद्रि प्रार्थना की गई है :--

आवेदन के अंतिम विनिश्चय के लंबित रहते हुए, आवेदक, निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी करवाना चाहता है :-

(अंतरिम आदेश की जिसके लिए प्रार्थना की गई है, प्रकृति और उसके कारण बताएं) ।

8. किसी अन्य न्यायालय में मामले का लंबित न होना आदि :-

आवेदक यह और घोषणा करता है कि वह मामला जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, किसी भी विधिक न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकरण की किसी अन्य न्यायपीठ के समक्ष लंबित नहीं है ।

9. इन नियमों के नियम 13 के निबंधनों में आवेदन फीस की बाबत बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर की विशिष्टियां :--

(1) उस बैंक का नाम जहां आहरण किया जाना है :

(2) डिमांड ड्राफ्ट सं0 :

या

(1) भारतीय पोस्टल आर्डर (आर्डरों) की सं0 :

(2) जारी करने वाले डाकघर का नाम :

Searchable PDF created by OCR.space

(3) पोस्टल आर्डर (आर्डरों) को जारी करने की तारीख :

(4) डाकघर जहां वह संदेय है :

10. अनुक्रमणिका के बारे :-

उन दस्तोवजों के, जिन पर वह निर्भर है, बारे वाली अनुक्रमणिका दो प्रतियों में संलग्न है ।

11. संलग्नकों की सूची :--

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी
(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

श्री.....आवेदक/आवेदक की ओर से, सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि पैरा 1 से 11 की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैंने किसी तथ्य को छिपाया नहीं है ।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

सेवा में

रजिस्ट्रार,

.....

.....

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

"qRRTZ– VIII

## परिशिष्ट VIII

[नियम 12(2) देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 17 की उपधारा (6) के अधीन आवेदन

अपील अधिकरण कार्यालय के प्रयोग के लिए

फाइल करने की तारीख .....

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख .....

या

रजिस्ट्रीकरण सं0 .....

.....

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

ऋण वसूली अपील अधिकरण में

(स्थान का नाम)

क ख आवेदक

और

ग घ प्रतिवादी

जो लागू न हो उसे हटा दें ।

आवेदन के ब्यौरे :

1. आवेदक की विशिष्टियां :—

(i) आवेदक का नाम :

(ii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

3294GI/07-2

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

(iii) सभी नोटिसों की तामील के लिए

2. प्रतिवादी की विशिष्टियां :--

(i) प्रतिवादी का नाम :

(ii) प्रतिवादी के कार्यालय का पता :

(iii) सभी नोटिसों की तामील के लिए पता :

3. अधिकरण की अधिकारिता :--

आवेदक घोषणा करता है कि आवेदन की विषय-वस्तु अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आती है ।

4. मामले के तथ्य :--

मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :--

आवेदक निवेदन करता है कि आवेदक/प्रतिवादी ने.....(तारीख) को, ऋण वसूली अधिकरण (स्थान) के समक्ष वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन एक आवेदन, जो.....के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, फाइल किया है और वह अभी भी लंबित है । उपरोक्त आवेदन का..... को या इससे पहले निपटान हो जाना चाहिए ।

5. मांगा गया (मांगे गए) अनुतोष :--

ऊपर पैरा 5 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक निम्नलिखित अनुतोष (अनुतोषों) के लिए प्रार्थना करता है :-

ऋण वसूली अधिकरण (वसूली), को उक्त आवेदन

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

संख्यांक.....को, यथासंभव शीघ्र का निपटान करने का निदेश देने की और/या न्याय तथा साम्या के हित में कोई अन्य यथोचित आदेश पारित करने की कृपा करें ।

6. किसी अन्य न्यायालय में मामले का लंबित न होना आदि :-

आवेदक यह और घोषणा करता है कि वह मामला जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, किसी भी विधिक न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकरण की किसी अन्य न्यायपीठ के समक्ष लंबित नहीं है ।

7. अनुक्रमणिका के ब्यौरे :-

उन दस्तोवजों के, जिन पर वह निर्भर हैं, ब्यौरे वाली अनुक्रमणिका दो प्रतियों में संलग्न है ।

8. संलग्नकों की सूची :--

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी
(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

श्री.....आवेदक, सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि पैरा 1 से 7 की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैंने किसी तथ्य को छिपाया नहीं है ।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

सेवा में

रजिस्ट्रार,
.....
.....

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

"परिशिष्ट- IX

[नियम 12(2) देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 18 के अधीन अपील

अधिकरण कार्यालय के प्रयोग के लिए

फाइल करने की तारीख .....

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख .....

रजिस्ट्रीकरण सं0 .....

.....

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

**ऋण वसूली अधिकरण में**

**(स्थान का नाम)**

.....अपीलार्थी/निर्णीत लेनदार

**और**

.....प्रत्यर्थी/लेनदार

अपील के ब्यौरे :

I. अपीलार्थी की विशिष्टियां :--

(i) अपीलार्थी (अपीलार्थियों) का नाम :

(ii) अपीलार्थी/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

(iii) सभी नोटिसों की तामील के लिए पता :

II. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थीगण) की विशिष्टियां :--

(i) प्रत्यर्थी का (के) नाम :

Searchable PDF created by OCR.space

(ii) प्रत्यर्थी के कार्यालय का पता :

(iii) सभी नोटिसों की तामील के लिए पता :

III. अपील अधिकरण की अधिकारिता :--

अपीलार्थी घोषणा करता है कि अपील की विषय-वस्तु अपील अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आती है ।

IV. परिसीमा :--

अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि यह अपील वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 18 की उपधारा (1) में विहित परिसीमा के भीतर है ।

V. मामले के तथ्य :--

(यहां, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 18 की उपधारा (3)/उपधारा (4)* के अधीन पारित ऋण वसूली अधिकरण के विनिर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध अपील के तथ्यों और आधारों का संक्षिप्त विवरण दें) ।

VI. मांगा गया (वांछित) अनुतोष :--

ऊपर पैरा V में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष (अनुतोषों) के लिए प्रार्थना करता है :-

[अनुतोष (अनुतोषों) के लिए आधारों को और निर्भर किए जाने वाले विधिक उपबंधों को (यदि कोई हो), स्पष्ट करते

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

हुए मांगा गया अनुतोष (मांगे गए अनुतोषों) को नीचे विनिर्दिष्ट करें]

VII. अंतरिम आदेश, यदि प्रार्थना की गई है :--

अपील के अंतिम विनिश्चय के लंबित रहते हुए, अपीलार्थी, निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी करवाना चाहता है :-

(अंतरिम आदेश की जिसके लिए प्रार्थना की गई है, प्रकृति और उसके कारण बताएं) ।

VIII. किसी अन्य न्यायालय में मामले का लंबित न होना आदि :-

अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि वह मामला जिसके संबंध में अपील की गई है, किसी भी विधिक न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है ।

IX. अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के निबंधनों में निक्षिप्त देय ऋण की बाबत बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर की विशिष्टियां :--

(1) उस बैंक का नाम जहां आहरण किया जाना है

(2) डिमांड ड्राफ्ट सं0

या

(1) भारतीय पोस्टल आर्डर की सं0

(2) जारी करने वाले डाकघर का नाम

(3) पोस्टल आर्डर को जारी करने की तारीख

(4) डाकघर जहां वह संदेय है

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

X. इन नियमों के नियम 13 के निबंधनों में संदत्त फीस की बाबत बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर की विशिष्टियां :—

(1) उस बैंक का नाम जहां आहरण किया जाना है

(2) डिमांड ड्राफ्ट सं0

या

(1) भारतीय पोस्टल आर्डर (आर्डरों) की सं0

(2) जारी करने वाले डाकघर का नाम

(3) पोस्टल आर्डर (आर्डरों) को जारी करने की तारीख

(4) डाकघर जहां वह संदेय है

XI. अनुक्रमणिका के ब्यौरे :-

उन दस्तोवजों के, जिन पर वह निर्भर हैं, ब्यौरे वाली अनुक्रमणिका दो प्रतियों में संलग्न है ।

XII. संलग्नकों की सूची :—

**सत्यापन**

मैं.....(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....अपीलार्थी, सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि पैरा I से IX की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैंने किसी तथ्य (तथ्यों) को छिपाया नहीं है ।

स्थान : अपीलार्थी के हस्ताक्षर

तारीख :

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

सेवा में

रजिस्ट्रार,

ऋण वसूली अधिकरण

* **जो लागू न हो उसे हटा दें ।**

[फा. सं. 1/10/2005-वि-II]

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** :–मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1020(30, तारीख 20-9-2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2007

S.O. 103(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (ba), (bb) and (bc) of sub-section (2) of section 38 read with sections 17, 18 and sub sections (4), (10) and (12) of section 13 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, namely:-

1. (1) These rules may be called the Security Interest (Enforcement) Amendment Rules, 2007

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. (1) In the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (herein after referred to as "the said rules") for the word "Ordinance", wherever they occur, the word "Act" shall be substituted.

(2) In the said rules, in rule 2, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

" 'Act' means the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002)";

3. In the said rules, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:-

"3A. Reply to Representation of the borrower

Searchable PDF created by OCR.space

(a) After issue of demand notice under sub-section (2) of section 13, if the borrower makes any representation or raises any objection to the notice, the Authorized Officer shall consider such representation or objection and examine whether the same is acceptable or tenable.

(b) If on examining the representation made or objection raised by the borrower, the secured creditor is satisfied that there is a need to make any changes or modifications in the demand notice, he shall modify the notice accordingly and serve a revised notice or pass such other suitable orders as deemed necessary within seven days from the date of receipt of the representation or objection.

(c) If on examining the representation made or objection raised, the Authorized Officer comes to the conclusion that such representation or objection is not acceptable or tenable he shall communicate within one week of receipt of such representation or objection the reasons for non-acceptance of the representation or objection to the borrower".

4. In the said rules, after rule 11, the following shall be inserted, namely:-

"12. Application to the Tribunal/ Appellate Tribunal—

(1) Any application to the Debts Recovery Tribunal under sub-section (1) of section 17 shall be, as nearly as possible, in the form given in Appendix VII to the rules.

(2) Any application to the Appellate Tribunal under sub-section (6) of section 17 of the Act shall be, as nearly as possible in the form given in Appendix VIII to the said rules.

Any appeal to the Appellate Tribunal under section 18 of the Act shall be, as nearly as possible in the form given in Appendix IX to the said rules.

"13. Fee for application and appeal under section 17 and 18 of the Act-

(1) Every application under sub-section (1) of section 17 or an appeal to the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 18 shall be accompanied by a fee provided in the sub-rule (2) and such fee may be remitted through a crossed demand draft drawn on a bank or Indian Postal Order in favour of the Registrar of the Tribunal or the Court as the case may be payable at the place where the Tribunal or the Court is situated.

329 GI/07—3

Searchable PDF created by OCR.space

(2) The amount of fee payable shall be as follows:

| No. | Nature of Application | Amount of Fee payable |
|---|---|---|
| 1 | Application to a Debt Recovery Tribunal under sub-section (1) of section 17 against any of the measures referred to in sub-section (4) of section 13 | |
| (a) | Where the applicant is a borrower and the amount of debt due is less than Rs.10 lakhs | Rs.500for every Rs.I lakh or part thereof |
| (b) | Where the applicant is a borrower and the amount of debt due is Rs.10 lakhs and above | Rs.5000 + Rs.250 for every Rs.I lakh or part thereof in excess of Rs.10 lakhs subject to a maximum of Rs.1,00,000 |
| (c) | Where the applicant is an aggrieved party other than the borrower and where the amount of debt due is less than Rs.10 lakhs | Rs.125for every RupeesOne lakh or part thereof |
| (d) | Where the applicant is an aggrieved party other than the borrower and where the amount of debt due is Rs.10 lakhs and above | Rs.1250 + Rs.125 for every Rs.I lakh or part thereof in excess of Rs.10 lakhs subject to a maximum of Rs.50,000/ |
| (e) | Any other application by any person | Rs.200/- |
| 2 | Appeal to the Appellate Authority against any order passed by the Debt Recovery Tribunal under section 17 | Same fees as provided at clauses (a) to (e) of serial number 1 of this rule |

5. In the said rules, -

(i) in Appendix-III, for the words "receipt of the sale price", the words and letters "of Rs._____ (Rupees _____only" shall be inserted;

(ii) in Appendix V, after the words "receipt of the sale price", the words and letters "of Rs._____ (Rupees_____only" shall be inserted;

(iii) after Appendix VI, the following shall be inserted, namely:-

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

"APPENDIX-VII

APPENDIX-VII

[See rule 12(1)]

Application under sub-section (1) of Section 17 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

For use in Tribunal's Office

Date of filing .....

Date of receipt by post .....

Or

Registration No. .....

.....

Signature
Registrar

In the Debts Recovery Tribunal
(Name of the place)

Between

A B Applicant(s)

and

C D Defendant(s)

*Delete whichever is not applicable.

Details of application :

1. Particulars of the applicant :—
   (i) Name of the applicant :
   (ii) Address of Registered Office :
   (iii) Address for service of all notices

2. Particulars of the defendant :—
   (i) Name of the defaldant :
   (ii) Office address of the defendant
   (iii) Address for service of all notices

3291 GI/07-4

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

3. Jurisdiction of the Tribunal :--
The applicant declares that the subject matter of this application falls within the jurisdiction of the Tribunal.

4. Limitation : --
The applicant further declares that this application is filed within the limitation prescribed in sub-section (1) of Section 17 of the Securitisation and Reconsbuction of the Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 .

5. Face of the case :--
The facts bf the casare given below :--
(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise as to how the applicant is aggrieved).

6. Relief (s) sought :--
In view of ute facts mendoned in paragraph 5 above, the applicant prays for the following relief(s) :-
[Specify below the relief(s) sought explaining üle grotmd for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon]

7. Interim order, if prayed for :--
Pending final decision on the application, the applicant seeks issue of the following Interim Order:-
(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons).

8. Matter not pending with any other court, etc. :

The applicant further declares that the matter regarding which this application has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other Bench of the Tribunal.

9. Particulars of Bank Draft/Postal Order in respect of ere application fee in terms of rules 13 of utese rules:-
(1) Name of the Bank on which drawn :
(2) Demand Draft No.:

Or

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

(1) Number of Indian Postal Order(s):
(2) Name of the issuing Post Office :
(3) Date of issue of Postal Order (s) :
(4) Post Office at which payable:

10. Details of Index :-
An index in duplicate containing the debils of the documenb to be reliéd upon is enclosed.

11. List of enclosures :—

Verification

I .....son/ daughter/ wife
(Name in full and block letters)

of Shri :....., the applicant /for and on behalf of the applicant hereby solemnly verify etat the contenb of paras 1 to 11 are Yue to my personal knowledge and belief and åat I have not suppressed any material facts.

Place :
Date :

Signature of the ap#ant

To
The Registrar.
.....
.....

Searchable PDF created by OCR.space

APPENDIX-VIII

[See rule 12(2)]

## Application under sub-section (6) of Section 17 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

For use in Appellate Tribunal's Office

Date of filing .....

Date of receipt by post .....

Or

Registration No. .....

.....
Signature
Registrar

In the Debts Recovery Appellate Tribunal
(Name of the place)

Between

A B Applicant(s)

And

C D Defendant(s)

Delete whichever is not applicable.

Details of application :

1. Particulars of the applicant :--
   (i) Name of the applicant :
   (ii) Address of Registered Office :
   (iii) Address for service of all notices :

2. Particulars of the defendant :--
   (i) Name of the defendant :
   (ii) Office address of the defendant :
   (iii) Address for service of all notices :

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space

3. Jurisdiction of the Appellate Tribunal :—
The applicant declares that the subject matter of this application falls within the jurisdiction of the Appellate Tribunal.

4. Facts of the case :-
The facts of the case are given below :—
The applicant submits that the applicant/defendant had filed an application under sub-section (1) of Section 17 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, before the Hon'ble Debt Recovery Tribunal (Place) on (date), which was registered as ....., and is still pending. The aforesaid application ought to have been disposed off on or before .....

5. Relief (s) sought :-
In view of the facts mentioned in para 5 above, the applicant prays for the following relief(s):-
Direct the Hon'ble Debt Recovery Tribunal (Place) to dispose of the said application No..... at the earliest and/or pass any other suitable order in the interest of justice and equity.

Searchable PDF created by OCR.space

6. Matter not pending with any other court, etc.:-
The applicant further declares that the matter regarding which this application has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other Bench of the Tribunal.

7. Details of Index :-
An index in duplicate containing the details of the documents to be relied upon is enclosed.

8. List of enclosures :-

Verification

I .....son/daughter/wife
(Name in full and block letters)

of Shri : ..... the applicant

hereby solemnly verify that the contents of paras 1 to 7 are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material facts.

Place :
Date :

Signature of the applicant

To
The Registrar,
.....
.....

APPENDIX IX

APPENDIX-IX

[See Rule 12(2)]

Appeal under Section 18 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

For use of Tribunal's office
Date of filing
Date of receipt by post
Registration No.

Signature
Registrar

Searchable PDF created by OCR.space

IN THE DEBTS RECOVERY APPELLATE TRIBUNAL

(Name of place)

Between

_____ Appellant(s)/Judgement-Creditor(s)

and

_____ Respondent(s)/Creditor(s)

Details of appeal:

I. Particulars of the Appellant(s):

(i) Name of the Appellant:

(ii) Address of the Registered office of the appellant:

(iii) Address for service of all notices:

II. Particulars of the respondent(s):

(i) Name(s) of respondent:

(ii) Office address of the respondent:

(iii) Address for service of all notices:

III. Jurisdiction of the Appellate Tribunal:

The appellant declares that the subject matter of the appeal falls within the jurisdiction of the Appellate Tribunal.

IV. Limitation:

The appellant declares that the appeal is within the limitation prescribed in sub-section (1) of Section 18 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

V. Facts of the case:

(give a concise statement of facts and grounds of appeal against the specific order of DRT passed under* sub-section (3)/sub-section (4) of Section 18 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

VI. Relief(s) sought:

In view of the facts mentioned in paragraph V above, the appellant prays for the following relief(s)

(Specify below the relief(s) sought explaining the grounds of relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon).

VII. Interim order, if prayed for:

Pending final decision on the appeal the appellant seeks issue of the following interim order:

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons)

VIII. Matter not pending with any other court, etc.:

The Appellant further declares that the matter regarding which this appeal has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal(s).

IX. Particulars of Bank draft/Postal Order in respect of the deposit of debts due in terms of sub-section (1) of Section 18 of the Act:

(1) Name of the bank on which drawn

(2) Demand Draft number

or

(1) Number of Postal Order(s)

Searchable PDF created by OCR.space

(2) Name of Issuing Post Office
(3) Date of Issue of Postal Order(s)
(4) Post Office at which payable

X. Particulars of bank draft, postal order in respect of the fee paid in terms of rule 13 of these rules:

(1) Name of the bank on which drawn
(2) Demand Draft number

or

(1) Number of Postal Order(s)
(2) Name of Issuing Post Office
(3) Date of Issue of Postal Order(s)
(4) Post Office at which payable

XI. Details of index-An index in duplicate containing the details of the documents to be relied upon is enclosed.

XI. List of enclosures:

Verification

I _____ (name in full block letters) son/daughter/wife of _____ the appellant do hereby verify that the contents of paragraphs I to IX are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact(s).

Signature of the Appellant

Place:
Date:

To
Registrar
Debts Recovery Tribunal

* Delete whichever is not applicable.

[F. No. 1/10/2005-BO-I]
AMITABH VERMA, Jt. Secy.

Note: —The Principal rules were published in the Gazette of India vide S.O. number 1020(E), dated 20-9-2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Ebyapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space